

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 176/2019-20

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
14.12.19	आवेदक/आवेदिका श्री जितेन्द्र महतो, पिता-स्व० अंकुर महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम-इन्दकाटा, पो०+थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा-आसनतलिया, थाना नं०-88, थाना-चक्रधरपुर, खाता नं०-302, खेसरा नं०-2168, रकवा-0.07 ए० क्रेता शिशु लाल महतो, पिता-स्व० भैरव महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम-चन्द्री, पो०-चैनपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है। जमीन का विवरण:- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr><tr><td>आसनतलिय</td><td>88</td><td>चक्रधरपुर</td><td>302</td><td>2168</td><td>0.07 ए०</td></tr></table> आवेदक बच्चे की पढ़ाई हेतु 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 0.07 ए० को कुल कीमत 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 20.12.19 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 31.12.19 को उपस्थापित करें।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में	आसनतलिय	88	चक्रधरपुर	302	2168	0.07 ए०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में									
आसनतलिय	88	चक्रधरपुर	302	2168	0.07 ए०									
		भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।												

[Signature]
14.12.19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।